



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102022-239716
CG-DL-E-17102022-239716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4702]
No. 4702]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 2022/आश्विन 25, 1944
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2022/ASVINA 25, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4914(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1408(अ) तारीख 22 मार्च 2022, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 1366 तारीख 28 मार्च 2022, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेलंगाना राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी. के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 22 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) में निहित होगा

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : वनपरथी		जिला : वनपरथी		राज्य : तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वनपरथी	पेद्दागुडेम	251	00	01
2			307	00	09
3			300	00	02
4			303	00	01
5			286	00	01
6			254	00	01
7			255	00	01
8			262	00	08
9			267	00	05
10	वनपरथी	राजापेट	439	00	02
11			424	00	06
12			426	00	18
13			417	00	02
14			255	00	07
15			284	00	11
16			286	00	03
17			324	00	04
18			335	00	04
19			336	00	02
20			328	00	10
21			331	00	01
22			95	00	04
23			92	00	15
24	वनपरथी	राजानगर	303	00	04
25			340	00	03
26			219	00	06

27			217	00	01
28			13	00	06
29			30 (कच्चा रास्ता)	00	01
30			8	00	01

[फा. सं. आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2022

S.O. 4914(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.1408(E) dated the 22 March 2022, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.1366 dated the 28 March 2022, the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Telangana for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette Notification were made available to the public up to 22 April 2022.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Wanaparthy		Dist: Wanaparthy		State: Telangana	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wanaparthy	Peddagudem	251	00	01
2			307	00	09
3			300	00	02
4			303	00	01
5			286	00	01

6			254	00	01
7			255	00	01
8			262	00	08
9			267	00	05
10	Wanaparthy	Rajapet	439	00	02
11			424	00	06
12			426	00	18
13			417	00	02
14			255	00	07
15			286	00	03
16			284	00	11
17			324	00	04
18			328	00	10
19			335	00	04
20			336	00	02
21			331	00	01
22			95	00	04
23			92	00	15
24	Wanaparthy	Rajanagar	303	00	04
25			340	00	03
26			219	00	06
27			217	00	01
28			13	00	06
29			30 (cart track)	00	01
30			8	00	01

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.